

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

क्रमांक:- सामान्य/2025/ 1)

दिनांक :-07.05.2025

संशोधित आदेश

श्रीमती सोनाक्षी पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक स्टैनो/2025/112 दिनांक 06.05.2025 द्वारा दिनांक 24.05.2025, 25.05.2025 को आवश्यक कार्यवश बाहर जाना बताया है। श्रीमती पाण्डेय द्वारा दिनांक 24.05.2025, 25.05.2025 की रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु श्री अविनाश चांगल, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़, जिनकी रिमांड ड्यूटी दिनांक 10.05.2025, 11.05.2025 को है, द्वारा परस्पर परिवर्तित करवाने हेतु अपनी सहमति दिया जाना भी बताया है।

इसी प्रकार श्री हेतराम मूंड, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर द्वारा दिनांक 29.05.2025 को परीक्षा में शामिल होने हेतु रिमांड ड्यूटी करने में असमर्थता जाहिर करते हुए उनके स्थान पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी द्वारा उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी किए जाने हेतु सहमति दिया जाना जाहिर किया है।

जिस पर इस कार्यालय के पूर्ववर्ती आदेश क्रमांक सामान्य/2025/05 दिनांक 20.03.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार रिमाण्ड, जमानत एवं प्रोटोकॉल आदि आवश्यक कार्य हेतु ड्यूटी लगाई जाती है:-

क्र.सं.	अवकाश/कार्यदिवस तिथि	पीठासीन अधिकारी मय न्यायालय का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
1	10.05.2025 11.05.2025	सोनाक्षी पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया मो.नं. 9340938735
2	24.05.2025 25.05.2025	अविनाश चांगल, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़ मो.नं. 8530487312
3	29.05.2025	राजीव जांगिड़, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी मो.नं. 9509309400

उक्त अधिकारीगण न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा/प्रथम सूचना रिपोर्ट/ जमानत व अन्य अति-आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्न डिजिटल माध्यम से करेंगे-

Sr. No	Head Quarter	E-mail ID	Contact No.
1.	Tibbi	remandduty@gmail.com	8279082179 8279082188
2.	Hanumangarh	remandduty@gmail.com	8279082197 (Gram.nya.)
3.	Sangaria	remandduty@gmail.com	8094315737 (JM Court)

शेष आदेश यथावत रहेगा।

नोट :-

अवकाश दिवस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा उस अवकाश के दिन प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व का भी निर्वहन किया जावेगा।

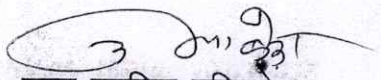
इस आदेश द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी अवकाश के दिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने के पूर्व तक नियमानुसार करेंगे और किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात् कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु उससे तुरंत पूर्व/पश्चात् अवकाश दिवस के लिए अधिकृत उक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही ड्यूटी/कर्तव्य का निर्वहन किया जायेगा।

3
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

क्रमांक:- 204-213

दिनांक:- 07/05/25

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा/संगरिया/नोहर/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/हनुमानगढ़।
3. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/ भादरा/संगरिया
5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़।
7. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) हनुमानगढ़।
8. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि हनुमानगढ़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
9. प्रभारी अधिकारी वायरलेस केन्द्र हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि हनुमानगढ़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
10. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र की वेबसाईड पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
11. आदेश/संबंधित पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़